स्वामित्व योजना: ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड, राज्य-वार स्थिति

ग्रामीण भूमि-अभिलेख / पंचायती राज | समाचार संदर्भ: स्वामित्व योजना और ड्रोन सर्वे पर लोक सभा उत्तर, 21 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

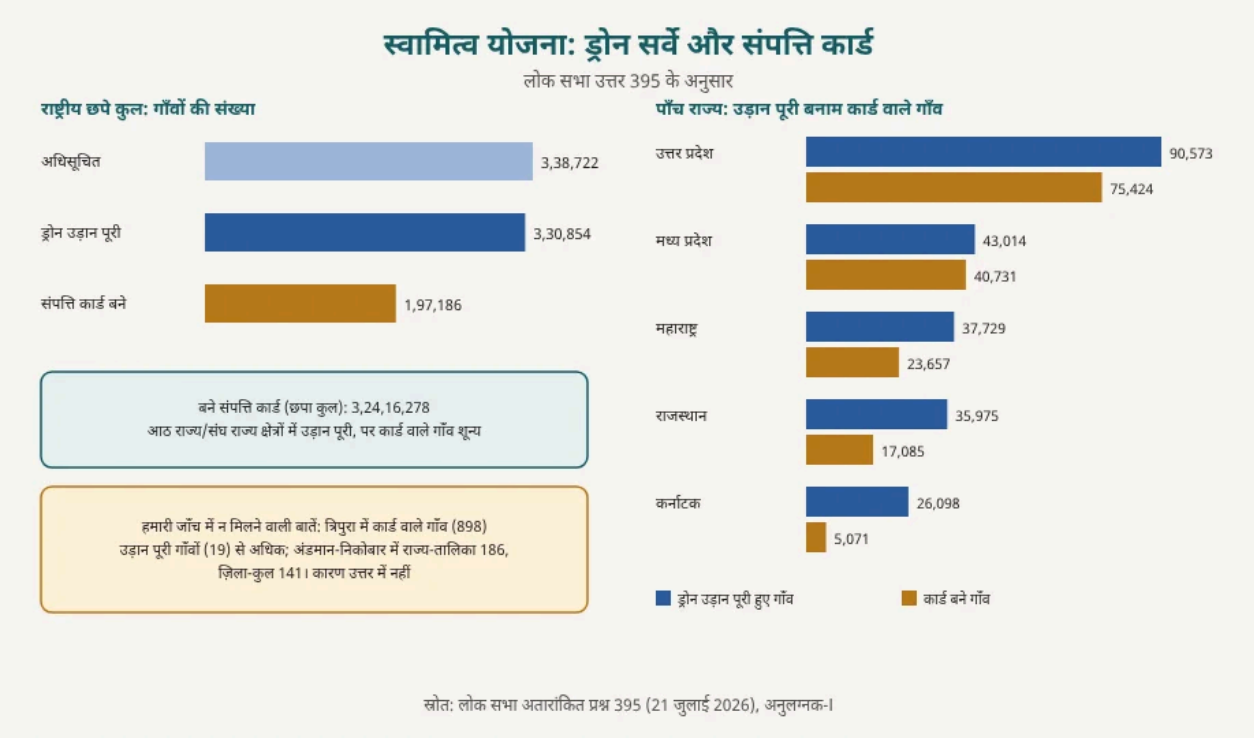
स्वामित्व (SVAMITVA) योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, जिसमें गाँव की आबादी (आबादी क्षेत्र) की भूमि का ड्रोन से सर्वे किया जाता है और संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख (Record of Rights) के रूप में संपत्ति कार्ड (property card) दिए जाते हैं। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके अनुलग्नक हैं।

खबरों में क्यों

21 जुलाई 2026 (मंगलवार) को पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह ने डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 395 (“Drone-Based Land Surveys and Digitisation of Property Records”) का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) ड्रोन सर्वे और डिजिटल संपत्ति-अभिलेखों का विवाद घटाने और पारदर्शी भूमि-शासन पर असर आँका गया है या नहीं; (ख) योजना से पहले और बाद में निपटे भूमि-विवादों की संख्या, ड्रोन सर्वे और डिजिटल अभिलेखों का राज्य-वार और ज़िला-वार दायरा; (ग) भूमि-अभिलेख सत्यापन और पंजीकरण में समय की कमी।

मुख्य अवधारणा: ड्रोन सर्वे पूरा होना और संपत्ति कार्ड बनना अलग चरण हैं

उत्तर के अनुसार: “rural inhabited land is demarcated using drone survey and Continuously Operating Reference Stations (CORS) technology to create high accuracy maps of abadi areas of villages”, और “The Scheme provides for ground verification and resolution of objections/disputes by the competent State authorities before issuance of Property Cards”. अनुलग्नक में चार स्तंभ हैं: अधिसूचित गाँव, ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँव, जिन गाँवों के संपत्ति कार्ड बने, और बने संपत्ति कार्डों की संख्या। ये गाँवों और कार्डों की अलग गिनतियाँ हैं, इसलिए हमने उन्हें आपस में भाग देकर कोई अनुपात नहीं बनाया।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

उत्तर के मुख्य दावे	**“As on date, drone survey has been completed in 3.30 lakh villages, and 3.24 crore Property Cards have been prepared for 1.97 lakh villages.” उत्तर के अनुसार मंत्रालय ने “IIM Ahmedabad” के माध्यम से योजना का प्रभाव-मूल्यांकन कराया, जिसमें बैंक-ऋण और ग्राम पंचायत के अपने राजस्व पर असर आँका गया; उत्तर के अनुसार अध्ययन में संपत्ति कार्ड पर लिए गए बैंक-ऋण की राशि में “substantial increase” और ग्राम पंचायत के संपत्ति-कर तथा अन्य स्थानीय करों में वृद्धि पाई गई। ये मंत्रालय के बताए निष्कर्ष हैं; अध्ययन उत्तर के साथ नहीं है और हमने उसे नहीं पढ़ा।**
अनुलग्नक-I के छपे कुल	अधिसूचित गाँव 3,38,722; ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँव 3,30,854; जिन गाँवों के संपत्ति कार्ड बने 1,97,186; बने संपत्ति कार्ड 3,24,16,278। 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पंक्तियाँ हैं।
सबसे बड़े राज्य (छपी संख्या)	उत्तर प्रदेश: 90,573 अधिसूचित, 90,573 ड्रोन उड़ान पूरी, 75,424 गाँवों के कार्ड बने, 1,20,31,301 कार्ड। मध्य प्रदेश: 43,014; 43,014; 40,731; 68,19,402। महाराष्ट्र: 37,819; 37,729; 23,657; 39,70,943। राजस्थान: 36,277; 35,975; 17,085; 15,68,136। कर्नाटक: 27,753; 26,098; 5,071; 10,60,363।
ड्रोन उड़ान पूरी, पर कार्ड वाले गाँव शून्य	आठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँव हैं पर संपत्ति कार्ड वाले गाँव और कार्ड, दोनों शून्य हैं: अरुणाचल प्रदेश (3,647 गाँव), असम (946), झारखंड (240), केरल (597), मणिपुर (209), सिक्किम (1), तमिलनाडु (3) और तेलंगाना (5)। इन आठ में ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँवों का हमारा जोड़ 5,648 है।
ज़िला-वार अनुलग्नक	अनुलग्नक में राज्य-वार के बाद ज़िला-वार तालिकाएँ भी हैं (हमारी जाँच में ज़िला-तालिकाओं के जो कुल छपे हैं, वे राज्य-तालिका की संख्याओं से मेल खाते हैं, नीचे एक अपवाद को छोड़कर; हमने ज़िलों की हर पंक्ति अलग से नहीं जोड़ी)। इस लेख में केवल राज्य-स्तर की संख्याएँ ली गई हैं।

आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं

जो मेल खाता है (हमारी गणना): अनुलग्नक-I की 31 पंक्तियों के चारों स्तंभों के जोड़ छपे कुल (3,38,722; 3,30,854; 1,97,186; 3,24,16,278) के बराबर हैं। उत्तर का पाठ (3.30 लाख; 3.24 करोड़; 1.97 लाख) इन कुलों से मेल खाता है।

जो मेल नहीं खाता: त्रिपुरा की पंक्ति में अधिसूचित 898, ड्रोन उड़ान पूरी 19, पर संपत्ति कार्ड वाले गाँव 898 और कार्ड 5,71,783 छपे हैं; यानी कार्ड वाले गाँव ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँवों से अधिक हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में राज्य-तालिका में ड्रोन उड़ान पूरी 186 है, जबकि उसी की ज़िला-तालिका का छपा कुल 141 है (ज़िला-पंक्तियाँ 63, 8 और 70); निकोबार की पंक्ति में ड्रोन उड़ान पूरी (8) अधिसूचित (7) से अधिक छपी है। उत्तर इन अंतरों का कारण नहीं बताता और हमने कोई कारण नहीं माना।

अधिसूचित बनाम ड्रोन उड़ान पूरी (हमारी गणना): नौ राज्यों में ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँव अधिसूचित गाँवों से कम छपे हैं: गुजरात (51 कम), हिमाचल प्रदेश (911), झारखंड (517), कर्नाटक (1,655), महाराष्ट्र (90), मणिपुर (2,346), पंजाब (1,117), राजस्थान (302), त्रिपुरा (879)। इन नौ का अंतर जोड़ने पर 7,868 आता है, जो छपे कुलों के अंतर (3,38,722 – 3,30,854) के बराबर है।

जो पूछा गया बनाम दिया गया: उत्तर साफ़ कहता है: “No such assessment has been undertaken on the reduction of property-related disputes, time taken for land record verification and registration, or improvement in land administration before and after implementation” और “The Ministry does not maintain data on the number of land disputes resolved before and after implementation of the Scheme.” यानी (ख) में माँगी गई विवादों की संख्या और (ग) में माँगा गया समय-घटाव उपलब्ध नहीं है।

अवधि: उत्तर में “As on date” लिखा है और अनुलग्नक में स्थिति की कोई अलग तारीख नहीं छपी है; इसलिए हम इसे 21 जुलाई 2026 के उत्तर की तारीख पर दी गई जानकारी मानते हैं, अलग से सत्यापित तारीख नहीं।

महत्व: सर्वे का दायरा और अभिलेख की तैयारी में फ़र्क

ड्रोन सर्वे आगे, कार्ड पीछे: छपे कुलों के अनुसार ड्रोन उड़ान 3,30,854 गाँवों में पूरी हुई, जबकि 1,97,186 गाँवों के संपत्ति कार्ड बने। उत्तर यह नहीं बताता कि शेष गाँवों में कार्ड बनने में क्या चरण बाकी हैं।

प्रभाव का दावा और उसकी सीमा: उत्तर विवाद-घटने का सीधा आँकड़ा नहीं देता; वह केवल नक्शों की सटीकता और ग्राउंड-वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया बताता है, और बैंक-ऋण तथा ग्राम पंचायत राजस्व पर अध्ययन का निष्कर्ष बताता है।

चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है

पूछा गया, पर नहीं मिला: योजना से पहले और बाद में निपटे विवाद; भूमि-अभिलेख सत्यापन और पंजीकरण में समय की कमी; शेष गाँवों में कार्ड की स्थिति।

अनसुलझे बिंदु: त्रिपुरा में कार्ड वाले गाँव ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँवों से अधिक; अंडमान और निकोबार में राज्य और ज़िला तालिकाओं का अंतर; आठ राज्यों में उड़ान पूरी पर कार्ड शून्य।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने केवल लोक सभा अतारांकित प्रश्न 395 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े। IIM अहमदाबाद का अध्ययन, योजना के दिशानिर्देश और ज़िला-वार तालिकाओं की हर पंक्ति नहीं पढ़ी गई।

आगे की राह

इसे 21 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; विवादों पर असर तभी आँका जा सकेगा जब मंत्रालय ऐसा आकलन या आँकड़े प्रकाशित करे।

अवधारणा में अंतर

तीन चरण अलग रखें: (1) अधिसूचित गाँव; (2) ड्रोन उड़ान पूरी हुए गाँव; (3) जिन गाँवों के संपत्ति कार्ड बने। मंत्रालय के बताए अध्ययन-निष्कर्ष और हमारी गणना भी अलग रखें।

मेंस दृष्टि

GS-II: ग्रामीण शासन और पंचायती राज; GS-III: भूमि-अभिलेख, प्रौद्योगिकी का उपयोग।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड के राज्य-वार आँकड़ों से क्या पता चलता है? योजना के विवाद-घटाने के प्रभाव को आँकने के लिए किन अतिरिक्त आँकड़ों की ज़रूरत होगी?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: SVAMITVA, ड्रोन सर्वे, CORS और संपत्ति कार्ड।

मुख्य भाग में: प्रश्न 395 (21.07.2026); अनुलग्नक-I के छपे कुल; सर्वे बनाम कार्ड का अंतर और आठ राज्यों में शून्य कार्ड; त्रिपुरा और अंडमान-निकोबार की विसंगतियाँ (कारण उत्तर में नहीं); उत्तर में क्या नहीं (विवाद, समय)।

निष्कर्ष में: ड्रोन सर्वे और कार्ड-वितरण को अलग प्रगति मानें; अस्पष्ट विसंगतियों के कारण न गढ़ें और विवाद घटने या निपटान-समय पर असर का निष्कर्ष अलग आकलन मिलने पर ही दें।

स्रोत

- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 395 और उत्तर, 21.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; अनुलग्नक सहित)

स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 395 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े गए और राज्य-तालिका के जोड़ और ज़िला-कुल जाँचे गए। IIM अहमदाबाद का अध्ययन नहीं पढ़ा गया।

याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार ड्रोन उड़ान 3,30,854 गाँवों में पूरी हुई और 1,97,186 गाँवों के 3,24,16,278 संपत्ति कार्ड बने; मंत्रालय विवादों की संख्या और समय-घटाव का आँकड़ा नहीं रखता, और त्रिपुरा तथा अंडमान-निकोबार की प्रविष्टियाँ आपस में मेल नहीं खातीं।